राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
पत्रकार कॉलोनी के सामने, लिंक रोड न.-3, भोपाल

क्रमांक/एन.एच.एम./वित्त/2022/ 14462 भोपाल, दिनांक - 16-03-2022

प्रति,

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी
समस्त आहरण अधिकारी

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम माह में भुगतान सुनिश्चित करने के लिये दिशा-निर्देश।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में भौतिक लक्ष्यों के अनुसार वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करने के लिये निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैः-

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में विभिन्न कार्यक्रम अधिकारियों को अपने-अपने कार्यक्रम की गतिविधियों में बजट आबंटन करने के अधिकार प्रदाय किये गये है। यह देखा गया है कि, कार्यक्रम अधिकारियों के द्वारा समय पर बजट उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करने के कारण वित्तीय प्रगति कम होती है। साथ ही आहरण अधिकारियों को बार-बार बजट के लिये अनुरोध करना पड़ता है अतः निर्देशित किया जाता है कि, समस्त कार्यक्रम अधिकारी अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत आहरण अधिकारियों को भुगतान के लिये आवश्यकता अनुसार बजट अनिवार्यतः उपलब्ध करावें।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार माह मार्च का वेतन आगामी वर्ष में आहरित न करते हुये उसी वित्तीय वर्ष में आहरित किया जाता है। अतः कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान करने के लिये निर्देशित किया जाता है कि, एच.आर.एम.आई.एस से वेतन तैयार कर दिनांक 25.03.2022 तक फाईल ई-वित्तप्रवाह में अनिवार्यतः अपलोड की जाये।
3. आर.सी.एच. अनमोल पोर्टल से हितग्राहियों के दावों का भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः लगने वाले समय को देखते हुये निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 25.03.2022 के पश्चात इस पोर्टल से भुगतान के लिये फाईल ई-वित्तप्रवाह को प्रेषित नहीं किया जाये। इस अवधि के पश्चात भी हितग्राही पंजीकरण, डाटा में संशोधन/अपडेशन की कार्यवाही की जा सकेगी। केवल भुगतान के लिये फाईल ई-वित्त में प्रेषित करने पर प्रतिबंध रहेगा।
4. आशा इंसेटिव के भुगतान के लिये आशा सॉफ्टवेयर से ई-वित्त को फाईल दिनांक 25.03.2022 तक ही प्रेषित की जा सकेगी।
5. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ई-वित्त से तैयार किये गये दावों का भुगतान संबंधित के खाते में जमा किया जाये। इस हेतु निम्नानुसार समयावधि निर्धारित की जाती हैः-

मेकर द्वारा भुगतान ई–वित्त से तैयार करने की अंतिम तिथि	26.03.2022
वेरिफायर द्वारा भुगतान वेरीफाई करने की अंतिम तिथि	27.03.2022
अप्रूवर द्वारा भुगतान करने की अंतिम तिथि	28.03.2022

उपरोक्तनुसार समयावधि का पालन सुनिश्चित करने के लिये मेकर, वेरीफायर एवं अप्रूवर की लागिन आईडी डीएक्टीवेट की जायेगी। अतः उक्त तिथियों तक अनिवार्यतः भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

6. ऐसे समस्त भुगतान जो दिनांक 28.03.2022 तक अप्रूवर द्वारा अप्रूव नहीं किये गये हो, ऐसे वित्तीय व्यवहार को डीएक्टीवेट किया जायेगा ताकि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में कोई भुगतान ट्रान्जिट में लंबित न रहे। डीएक्टीवेट किये गये भुगतानों का बजट संबंधित गतिविधियों में वापस किया जायेगा।
7. समस्त आहरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, उपरोक्त निर्धारित तिथियों में भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समस्त प्रकार के अग्रिम भुगतानों का समायोजन सुनिश्चित किया जावे।
8. समस्त प्रकार के कर दायित्वों का भुगतान दिनांक 31.03.2022 तक करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार समस्त निर्देश दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के लिये लागू होगे। दिनांक 01.04.2022 अर्थात नवीन वित्तीय वर्ष 2022–23 में सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाये।

(प्रियंका दास)
मिशन संचालक
एन.एच.एम., म.प्र.

पृ.क्रमांक/एन.एच.एम./वित्त/2022/ 14462 भोपाल, दिनांक - 16-03-2022

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
2. संयुक्त संचालक वित्त, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
3. समस्त कार्यक्रम अधिकारी, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
4. उपसंचालक मानव संसाधन, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
5. उपसंचालक आई.टी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, उपरोक्तानुसार पालन सुनिश्चित करावें। निर्धारित तिथियों पर बैकअप राज्य स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाये।
6. समस्त जिला लेखा प्रबंधक/विकासखण्ड लेखा प्रबंधक/लेखापाल, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक
एन.एच.एम., म.प्र.